तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5229/2004/उदयपुर किशनसिंह बनाम जीतमल	नम्बर व तारीख

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.एस. राठौड, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 16–11–2021

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार गोगुन्दा के समक्ष जीतमल जसराज जैन निवासी सायरा ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर अंकित किया कि ग्राम सायरा की साबिक आराजी नम्बर 3494 हाल नम्बर 4268 में से कीर्ति कुमार पिता मोती एवं सोहनलाल पिता चुन्नीलाल जैन को क्रमशः चार–चार बिस्वा भूमि बाडे हेतु आवंटित की थी। तब से चारों ओर परकोटा बनाकर काबिज है लेकिन प्रकरण संख्या–5/1997 से किशनसिंह पिता भैरूसिंह एवं प्रकरण संख्या 4/97 में श्री खुमाण सिंह पिता डालू को क्रमशः 0.0400हैक्टयर भूमि प्रत्येक को बाडा हेतु आवंटन हुई है, जिसका मौके पर कब्जा नहीं है, हमारा कब्जा पूर्व से कही है। अभी राज्य कर्मचारियों की हडताल के समय खुमाण सिंह एवं उसके पुत्रों ने ताला तोडकर घास व मवेशी बैठा दी है। अतः बाडा आवंटन को निरस्त किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 27–4–2000 से प्रार्थी किशनसिंह के पक्ष में प्रकरण संख्या 5/97 निर्णय दिनांक 27–2–1997 से ग्राम सायरा की आराजी नम्बर 4268 में से रकबा 0.0400 हैक्टयर भूमि का बाडा आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त कर दिया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5229/2004/उदयपुर किशनसिंह बनाम जीतमल	नम्बर व तारीख

तहसीलदार द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–2–2003 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–08–2004 से खारिज कर दी। इन्हीं निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को बहस में दौहराया और प्रार्थी के पक्ष में विधिवत रूप से बाडे का आवंटन होना बताया है और वह सद्भावी आवंटी है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटन के दिन प्रार्थी किशनसिंह 09वर्षीय बालक था और उसके पिता भैरूसिंह पुलिस में सर्विस करते थे उन्होंने अपने पद के प्रभाव से अपने बच्चे के नाम बाडा आवंटन करवा लिया जबकि 09वर्षीय बालक के पास मवेशी होना अथवा उसके नाम जमीन पर कब्जा होना पूर्णतयाः मिथ्या है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी किशनसिंह बाडा आवंटन के दिन नाबालिग था और विवादित भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं था और कब्जे के अभाव में कोई भी आवंटन विधिसम्मत् प्रभाव नहीं रखता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश दिनांक 25–2–2003 और तहसीलदार, गोगुन्दा के आदेश दिनांक 27–4–2000 में विस्तृत विवेचना करते हुए दिनांक 27–2–1997 को किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5229/2004/उदयपुर किशनसिंह बनाम जीतमल	नम्बर व तारीख
	होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर चुनौतीग्रस्त आदेश में कोई अवैधता, अनियमितता प्रकट नहीं होती है और ना ही आदेश अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी की यह निगरानी खारिज किये जाने येाग्य है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	